POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2022/अंक 11

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 नवम्बर, 2022 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! साथ ही 'ग्राम गदर' के सभी पाठकों को मेरी एवं 'कट्स' परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

हम सभी जानते हैं कि देश में जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, राजनेता अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए मुफ्त की सौगातें देने की घोषणाएं या यूं कहें कि खोखले चुनावी वादे करने लगते हैं।

आम जनता अब इसे 'चुनावी रेवड़ी' के नाम से जानने लगी है। यह मुद्दा अब देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में दाखिल है। हाल ही सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने भी इस मामले में गंभीरता दिखलाई है।

आयोग ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि खोखले चुनावी वादे न करें और मतदाताओं को मुफ्त सौगात के आर्थिक पहलू भी समझाएं। आयोग ने राजनीतिक दलों से इस मामले में राय भी मांगी है।

अमूमन यह सामने आता रहता है कि केंद्र व राज्य सरकारें अपने नजरिए से ऐसी रेवड़ियां कई तरह से बांटती है, जिसकी जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंचती।

मसलन, सरकार द्वारा उद्योगों को जो करों में भारी-भरकम छूट दी जाती है, इसकी भी समीक्षा की जानी आवश्यक है। सरकार इन करों का पैसा जनता की भलाई में इस्तेमाल कर सकती है। सरकार का काम प्रजातंत्र को मजबूत बनाना है।

मेरा मानना है, गरीब परिवारों के सशक्तिकरण के लिए इस पैसे का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे परिवारों को ऋण के जरिए रोजगार उपलब्ध कराकर सशक्त बनाया जा सकता है। इससे देश में उत्पादकता बढ़ेगी। लोग आश्रित बनने के बजाय आत्मनिर्भर बनेंगे और सरकार के प्रति उनमें विश्वास जगेगा।

सरकारों की जिम्मेदारी तो यह है कि जनता के धन का लाभ अपात्र लोग न उठा पाए और यह सुपात्रों तक पहुंचे। प्रसन्नता है, आज देश के विद्वत्जनों, विचारकों और विषय विशेषज्ञों में भी इस मुद्दे पर गंभीर बहस छिड़ी हुई है।

प्रदेश में उपभोक्ता जल्द मिलने वाले न्याय से वंचित क्यों?

प्रदेश की उपभोक्ता अदालतों में लंबे समय से अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां नहीं होने से लंबित मामलों (पेंडिग केसों) का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में ऐसे मामलों की संख्या 50 हजार से भी ज्यादा हो गई हैं, इससे उपभोक्ता जल्द मिलने वाले न्याय से वंचित हो रहे हैं। गौरतलब है, वर्ष 1986

में त्वरित न्याय दिलाने की मंशा से जिस उपभोक्ता संरक्षण कानून को बनाया गया था, वह 36 वर्षों के पश्चात भी महज एक सिविल कोर्ट की तरह बन कर रह गए।

बावजूद इसके, राज्य सरकार ने उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द नियुक्ति करने के बजाय 2021 में शुरू की कई नियुक्ति प्रक्रिया को ही बिना किसी कारण रद्द कर दिया। सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता आयोगों में 16 अध्यक्ष व 10 सदस्यों के लिए दुबारा आवेदन भरवाए हैं। वहीं राज्य उपभोक्ता आयोग में भी खाली चल रहे अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं।

ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब अध्यक्ष पद पर नवंबर 2021 में साक्षात्कार लेने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई थी और योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के लिए लिस्ट बन कई थी तो राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकारों की अनदेखी करते हुए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को क्यों रद्द किया?

हाउसिंग बोर्ड 2005 की कीमत पर मकान आवंटित करे

जयपुर निवासी अजय फाटक ने हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि वह हाउसिंग बोर्ड की कल्पतरु योजना 1987 में पंजीकृत आवेदक था। हाउसिंग बोर्ड ने 2005 की उच्च आय वर्ग लॉटरी में उनका नाम होने के बावजूद, उन्हें वर्ष 2006 की सूची से हटा दिया। साथ ही बाद में उनकी वरीयता का उल्लंघन कर उनसे कम वरीयता वालों को मकान आवंटित कर दिए। उन्होंने बताया कि पहली लॉटरी को बिना किसी कारण निरस्त किया गया था। मामले की सुनवाई कर जिला उपभोक्ता आयोग ने उनके पक्ष में फैसला दिया। हाउसिंग बोर्ड मामले को राज्य आयोग में ले गया वहां भी फैसला उनके हक में हुआ।

फैसले के खिलाफ हाउसिंग बोर्ड ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में रिविजन याचिका दर्ज कराई। राष्ट्रीय आयोग ने हाउसिंग बोर्ड की रिविजन याचिका को खारिज कर दिया और राज्य उपभोक्ता आयोग व जिला उपभोक्ता आयोग के उन फैसलों को बरकरार रखा, जिनमें हाउसिंग बोर्ड की मानसरोवर एसएफएस योजना में परिवादी अजय फाटक को वर्ष 2005 की कीमत व क्षेत्रफल के आधार पर मकान आवंटित करने और जुर्माना देने का निर्देश दिया गया था।

स्टार्टअप: मिल सकेगा गारंटी मुक्त ऋण

केंद्र सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत स्टार्टअप की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार स्टार्टअप को तय अवधि के लिए 10 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराएगी।

इस स्कीम के तहत सिर्फ उन स्टार्टअप को ऋण दिया जाएगा, जो कम से कम एक साल से स्थिर आय दे रहे हैं। यानी बिना गारंटी का ऋण सिर्फ उन स्टार्टअप को दिया जाएगा, जो ऋण वापस करने की स्थिति में हैं। केंद्र सरकार इस स्कीम को लागू करने के लिए ट्रस्ट बनाएगी।

आर्थिक विषमता पर ऑक्सफेम की रिपोर्ट

आर्थिक विषमता को लेकर आई ऑक्सफेम की रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के 98 अमीरों पास 657 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, जो 555 मिलियन लोगों की संपत्ति के बराबर है। देश में लॉकडाउन में जहां अनेक परिवारों के लिए खाने का संकट हो गया, वहीं धनकुबेरों की संपत्ति 35 प्रतिशत बढ़ गई।

लॉकडाउन के पहले तीन माह में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गई। अनुसूचित जाति-जनजाति व अल्पसंख्यकों के लिए समस्या और भी अधिक थी। अंत्योदय अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज का कहना है कि कोरोना काल में गरीब परिवार चाहते थे कि स्कूल खुलें। यह चिंता की बात है कि आंगनबाड़ी जैसी बाल विकास परियोजनाओं का बजट भी लगातार कम हो रहा है।

अफसरों की सुस्ती से धुंधलाई आस

राज्य में करीब 50 लाख रोजगार देने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों (एमएसएमई) के लिए सरकार भले ही कई बड़ी नीति और कार्यक्रम लेकर आई हो, लेकिन अफसरों की कार्यशैली से इन उद्योगों के प्रोत्साहन की आस धुंधली पड़ रही है। इसी के चलते प्रदेश में जोर-शोर से शुरू हुए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एमएलयूपीवाय) मिशन निर्यातक बनों जैसे कार्यक्रम लेटलतीफी का नमूना बन कर रह गए हैं।

सरकार ने इस योजना के जरिए अधिकाधिक औद्योगिक निवेश लाने की मंशा से ब्याज सब्सिडी पेटे मौजूदा वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रावधान रखा था। लेकिन अफसर इस मंशा के अनुरूप काम ही नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ आधा साल बीतने के बाद भी उद्योग विभाग सिर्फ 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे पाया है।

महिलाओं ने सरकार को दिखाया आईना

राज्य सरकार उड़ान योजना के तहत महिलाओं व किशोरियों को निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन दे रही है। हाल ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसके लिए 600 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे प्रदेश में एक करोड़ 45 लाख किशोरियों व महिलाओं को नैपकिन उपलब्ध करवाएं जाएंगे। लेकिन अभी भी योजना कागजों तक ही है, सार्वजनिक स्थानों पर नैपकिन आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

इसके लिए अब खुद महिलाएं मुखर हुई हैं। उनका कहना है कि सरकार की उड़ान योजना कागजी साबित हो रही है। हकीकत यह है कि राजधानी में ही सार्वजनिक स्थानों पर सैनेटरी नैपकिन नहीं मिल रहे हैं तो गांव-ढाणियों की स्थिति क्या होगी, यह हम सोच सकते हैं।

नवाचारों के बल पर नागौर जिला टॉप पर

प्रदेश में नागौर जिले के किसान खेती में नवाचारों के बल पर एवं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अच्छी सफलता प्राप्त कर प्रदेश में पहले स्थान पर हैं। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में कृषि विभाग के उद्यानिकी विभाग ने क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है।

किसानों का बागवानी के प्रति अच्छा रुझान है। भूजल स्तर के नीचे जाने के बावजूद किसान अधिक उत्पादन लेने के लिए बूंद-बूंद सिंचाई योजना के साथ डिग्गी बनाकर सिंचाई कर रहे हैं। किसान जैविक कृषि के माध्यम से सब्जियों और फलों की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जिले को मिले बजट का करीब 98 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जा चुका है। दोनों योजनाओं में नागौर जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है।

इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनेगा भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है, जिसमें हर क्षेत्र व हर राज्य के विकास को तेज गति देने का सामर्थ है। भारत अब चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। अमृतकाल में भारत अनुसंधान और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनेगा। इसके लिए हमें एक साथ अनेक मोर्चों पर काम करना है।

गुजरात सांइस सिटी में आयोजित केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन को वर्चूअल संबोधित करते हुए उन्होंने यह विचार रखे। उन्होंने कहा विज्ञान और तकनीक से जुड़े शोध को अब स्थानीय स्तर तक लेकर जाने की जरूरत है। आने वाल 25 साल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आने वाले भारत की नई पहचान और ताकत का निर्धारण करेगा।

रंग ला रहा है चूरू कलेक्टर का नवाचार

महिला सशक्तिकरण के लिए चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग का 'कम्प्यूटर सखी' नामक नवाचार ग्रामीण महिलाओं के जीवन में उजियारा भर रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए गए इस अभियान से अब तक जिले की 1000 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जिले की करीब 70 हजार महिलाएं स्वयंसहायता समूह से जुड़ी हैं। उनमें से 10 हजार से ज्यादा महिलाओं ने इस अभियान से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है।

कलेक्टर सिहाग ने बताया कि प्रशिक्षित महिलाओं में से कुछ को 15 दिन का अतिरिक्त प्रशिक्षण देकर उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर ही अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जोड़ा जा रहा है।

इससे गांव की हर महिला डिजिटल रूप से साक्षर हो सकेंगी। जो महिलाएं तैयार होकर अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देंगी उन्हें मानदेय दिलाए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

किसानों को मिले फसल बीमा का लाभ

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फसल बीमा होने के बाद भी किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए केंद्रीय वित्त व कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को अधिक सक्रियता से काम करने को कहा है।

पिछले दिनों उन्हें संसदीय क्षेत्र कोटा-बूंदी दौरे के समय राजस्थान में अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान होने के बावजूद किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने की शिकायतें मिली थीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसान निराश है। कई किसानों को तीन-चार साल पुराना मुआवजा तक नहीं मिला। फसल के खराबे और प्रीमियम जमा कराने के बावजूद मुआवजा नहीं मिलने से किसान पर दोहरी मार पड़ती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर बीमा लाभ मिले इसके लिए सिस्टम में सुधार करना होगा।

प्रदेश में एक चौथाई आबादी गरीब

प्रदेश में एक चौथाई आबादी गरीबी से जूझ रही है। हमारे सामने आज भी अशिक्षा और गरीबी एक बड़ी चुनौती है। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर समाज में गैर बराबरी में कमी लाने के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए।

बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका) क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष डॉ. चन्द्रभान ने यह बात बीसूका क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में सामने आया कि केंद्र सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य तय करने में पीछे है तो प्रदेश के प्रभारी मंत्रियों ने 17 जिलों में समीक्षा बैठक तक नहीं की। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकारी योजना के तहत हर घर अन्न पहुंचने से कोई भूखा तो नहीं सो रहा, लेकिन हकीकत यह है कि बढ़ती आबादी के साथ प्रदेश में गरीबों की संख्या भी बढ़ी है। इस पर ध्यान दिया जाना चहिए।

खोखले चुनावी वादे न करें

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे खोखले चुनावी वादा न करें। जो वादा किया जाए, उसमें ध्यान रखा जाए कि वह आर्थिक रूप से पूरे करने लायक है या नहीं। चुनावी वादों की वित्तीय व्यावहारिकता की जानकारी मतदाताओं को दी जाए। आयोग ने इस मामले में सभी राजनीतिक दलों से राय भी मांगी है।

विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव से पहले मुफ्त सुविधाएं देने के वादे करते हैं। मुफ्त की इस रेवड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। सभी दलों को भेजे पत्र में आयोग ने कहा है कि वह चुनावी वादों पर जानकारी नहीं देने और इससे वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाने अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकता।

एफपीओ के साथ जुड़कर किसान कर रहे हैं नवाचार

वर्तमान परिस्थितियों में किसानों के लिए खेती नुकसान का सौदा ना रहे इसके लिए 'कट्स' मानव विकास केंद्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना '10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन' के तहत संचालित की जा रही है।

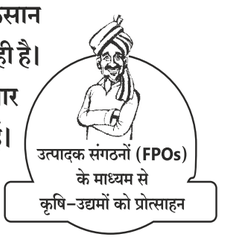

इस परियोजना के तहत चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में केंद्र द्वारा गठित कर्णधार एफपीओ में अच्छी कृषि पद्धति अपनाने विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई। जिसमें किसानों को चिया सीड्स की खेती के प्रति जागरूक किया गया। एफपीओ से जुड़े किसानों को बताया गया कि चिया सीड्स की खेती कर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है।

चिया सीड को नए जमाने का सुपर फूड भी कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होने की वजह से बाजार में इसकी कीमतें अच्छी बनी रहती है। एफपीओ के माध्यम से किसानों को चिया सीड्स उपलब्ध कराया जा रहा है, इससे किसान चिया सीड्स की खेती को अपना कर लाभान्वित हो रहे है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार विवेदी, 'कट्स' जयपुर